B.Com.(HONS).
P2 - A/cs (H)
Paper - III BRF

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर, (मधुबनी)

UNIT - I

TERMINATION OF AGENCY

एजेन्सी का समापन निम्नलिखित तरीकों से हो जा सकती है —

- A. पक्षकारों के कार्य द्वारा तथा
- B. राजनियम के लागू होने से;

A. पक्षकारों के कार्यों द्वारा :—

पक्षकारों के कार्य द्वारा एजेन्सी निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है —

(i) मालिक द्वारा एजेन्ट के अधिकारों का (Sec. 203-207) खण्डन करने पर — मालिक अपने एजेन्ट को उसके अधिकारों के खण्डन की सूचना देकर किसी भी समय एजेन्सी को समाप्त कर सकता है. यदि किसी एजेन्ट को किसी कार्य विशेष को करने के लिए नियुक्त किया गया है, तो मालिक उस कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व एजेन्सी को समाप्त कर सकता है. लेकिन यदि एजेन्ट अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है और एजेन्सी समाप्त हो जाती है तो एजेन्ट मालिक पर अनुबंध भंग करने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है.

(ii) एजेन्ट द्वारा खंडन करने पर — (Sec. 206) —
एक एजेन्ट अपने पद से त्याग पत्र देकर एजेन्सी की संविदा को समाप्त कर सकता है. Sec. (206) के अनुसार, एजेन्सी के खंडन के सम्बन्ध में मालिक

Scanned with CamScanner

की उचित नोटिस देना चाहिए, अन्यथा उसे ऐसे खंडन के फलस्वरूप होने वाली हानि का मुआवजा देना होगा। उसके अलावा यदि एजेंसी की संविदा किसी निश्चित अवधि के लिए की गई है और एजेन्ट अवधि पूर्ण होने से पहले बिना पर्याप्त कारण के उसका खण्डन कर देता है इससे होने वाली हानि का मुआवजा देने के लिए बाध्य होता है।

(iii) आपसी ठहराव द्वारा — किसी अन्य संविदा की भाँति, एजेंसी की संविदा भी मालिक और एजेन्ट के पारस्परिक समझौते द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

B. राजनियम के लागू होने से —

निम्नलिखित परिस्थितियों में राजनियम के लागू होने एजेंसी स्वतः समाप्त हो जाती है।—

(i) एजेन्सी-कार्य का पूरा हो जाना — (Sec. 201) — जब मालिक तथा एजेन्ट के बीच निश्चित किया एजेंसी का कार्य पूरा हो जाता है तो एजेंसी स्वतः समाप्त हो जाती है, इसमें एजेन्ट तथा मालिक दोनों ही अपने-2 कार्यों का निष्पादन कर लेते हैं। जैसे- किसी मुकदमें को लड़ने के लिए नियुक्त वकील का अधिकार मुकदमें का निर्णय होते ही समाप्त हो जाता है।

(ii) अवधि समाप्त होने पर → यदि एजेन्ट की नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए की जाती है, तो ऐसी अवधि के समाप्त होने पर एजेंसी स्वतः समाप्त हो जाती है, चाहे ही एजेंसी का कार्य [redacted] पूरा न हुआ हो।

(iii) किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने पर — (Sec. 209) यदि एजेन्ट या मालिक दोनों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो एजेंसी

Scanned with CamScanner

स्वत: समाप्त हो जाती है; क्योंकि मालिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् एजेन्सी समापन के बाद भी एजेन्ट का यह कर्तव्य होता है कि मालिक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित कदम उठाए.

(iv) - मालिक का दिवालिया होने पर (Sec. 201) - यदि मालिक दिवालिया हो जाता है, तो वह अनुबंध करने के लिए अयोग्य हो जाता है, परिणामत: एजेन्सी स्वत: समाप्त हो जाती है.

(v) विषय-वस्तु का नष्ट हो जाना — यदि एजेन्सी की स्थापना किसी विशिष्ट विषय-वस्तु के संबंध में कार्रवाई करने के लिए की जाती है, तो विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर एजेन्सी स्वत: समाप्त हो जाती है, उदाहरणस्वरूप- मालिक ने एजेन्ट को अपने घोड़ा बेचने के लिए नियुक्त किया, और घोड़ा बेचने से पहले मर जाता है, तो यह एजेन्सी स्वत: समाप्त मानी जाएगी.

(vi) एजेन्सी कार्य अवैधानिक होने पर — यदि सरकार द्वारा कोई नया अधिनियम लागू किया जाता है, या उसमें परिवर्तन किया जाता है, जिससे एजेन्सी का कार्य अवैध हो जाता है, परिणामत: एजेन्सी स्वत: समाप्त हो जाती है.

(vii) मालिक या एजेन्ट का विदेशी शत्रु होना:— यदि मालिक या एजेन्ट अलग-2 देशों के नागरिक हों और उन देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, तो एजेन्सी भी स्वत: समाप्त हो जाती है. क्योंकि युद्ध छिड़ जाने के परिणामस्वरूप मालिक और एजेन्ट परस्पर विदेशी शत्रु हो जाते हैं —

Scanned with CamSc